BIADA
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार
प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004
Website-www.biadabihar.in,Email- biada-gov@gov.in Phone: 0612-2675352/2675296/2675889

कार्यालय आदेश

सर्वश्री संध्या फार्मास्युटिकल्स को औद्योगिक प्रांगण, जहानाबाद में कार्यालय पत्रांक 468/डी.ओ.सी. दिनांक 25.09.1982 से Plot No. C-15, 16, 17, 18, 19 & 20 रकवा 20000 वर्गफीट भूमि Pharmaceuticals के उद्योग स्थापना हेतु साझेदारी स्वरूप में आवंटित की गई। कार्यालय पत्रांक 2021/डी.ओ.सी. दिनांक 11.07.1985 से इकाई का नाम एवं गठन परिवर्त्तन करते हुए नाम सर्वश्री अभिषेक फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड करने की स्वीकृति दी गई।

इकाई द्वारा आवंटित स्थल पर उद्योग स्थापित नहीं करने तथा बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण कार्यालय ज्ञापांक 3725/डी0 दिनांक 13.09.2007 से आवंटित भूमि का आवंटन रद्द कर दिया गया। बियाडा निदेशक पर्षद की 26वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में कार्यालय पत्रांक 3300/डी0 दिनांक 14.06.2008 से इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने हेतु छः माह का समय दिया गया, जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नहीं किया गया।

इकाई को आवंटित स्थल पर उद्योग स्थापित नहीं करने के कारण कार्यालय पत्रांक 6679/डी0 दिनांक 31.12.2018 एवं पत्रांक 4890/डी0 दिनांक 06.08.2019 से कारण बताओ नोटिस तथा पत्रांक 1816/डी0 दिनांक 23.06.2020 से अंतिम कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया, जिसका प्रतिउत्तर इकाई से अप्राप्त रहा।

दिनांक 25.08.2021 के स्थलीय निरीक्षण में इकाई जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पाई गई। उद्यमी द्वारा भू–आवंटन पुनर्बहाल होने 13 वर्षो की लंबी अवधि बीत जाने के उपरांत भी स्थल पर उद्योग स्थापित नहीं किये जाने से प्रतीत होता है कि वे उद्योग स्थापना के प्रति गंभीर नहीं है तथा उद्योग स्थापना में वे अभिरूचि नहीं रखते है। निर्धारित अवधि में उत्पादन कार्य प्रारंभ नहीं किया जाना भू–आवंटन के शर्त्तो के प्रतिकूल है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में बियाडा अधिनियम 1974, बियाडा (संशोधन) अधिनियम 1991 की धारा 6(2) (a),(b) बियाडा संशोधन अधिनियम 2017 तथा अन्य सुसंगत नियमो/प्रावधानों के तहत प्राधिकार द्वारा भूमि मद में जमा की गयी राशि को जब्त करते हुए सर्वश्री अभिषेक फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, औद्योगिक प्रांगण, जहानाबाद को आवंटित Plot No. C-15, 16, 17, 18, 19 & 20 रकवा 20000 वर्गफीट भूमि का भू–आवंटन रद्द किया जाता है।

रद्द किये गये भूमि पर भविष्य में सर्वश्री अभिषेक फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, औद्योगिक प्रांगण, जहानाबाद का किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

प्रबंध निदेशक का आदेश
(दिनांक 13.12.2021)
ह0/–
कार्यकारी निदेशक(मु0)।

दिनांक 15/12/2021

ज्ञापांकः– 4356/D

प्रतिलिपिः– सर्वश्री अभिषेक फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, निदेशक–श्री कुँवर विजय सिंह, संध्या निवास, पी.जी.रोड, गौतमबुद्ध हाई स्कूल के नजदीक, जिला–जहानाबाद, पिनकोड–804408, बिहार/मुख्य लेखा पदाधिकारी/विधि पदाधिकारी/आई0टी0 शाखा/अमीन, बियाडा/क्षेत्रीय प्रभारी, औद्योगिक प्रांगण, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/21

कार्यकारी निदेशक(मु0)।